न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2021	2021/57	01.03.2021	19.08.2025

1.श्रीमती लड्डो देवी पत्नी स्व० श्री मोहनलाल, उम्र करीब 70 साल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

——निगरानीकार

बनाम

1.राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकिशोर, उम्र करीब साल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज०)।
2.ग्राम पंचायत अलई जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत अलई।
3.पंचायत समिति राजगढ, जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज०)।

——गैरनिगरानीकार

निगरानी बनाराजी तजबीज निर्णय ग्राम पंचायत अलेई, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अलेई तहसील राजगढ, जिला अलवर दिनांक 05.07.2001 जिसके द्वारा जायदाद गैरमनकुला वाके ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ का पट्टा सं. 529 गैरसायल सं. के नाम 1 गैरसायलान सं. 2 व 3 ने गलत तरीके पर जारी किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने निगरानी सायला।

उपस्थितः—

01.श्री टेकचंद सैनी — वकील निगरानीकार
02.श्री अजीत कुमार यादव —वकील गैरनिगरानीकार संख्या 01

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अलई द्वारा पारित पट्टा संख्या 529 दिनांक 05.07.2001 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि मिनसायला का एक रिहायशी प्लॉट जो आबादी में ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर में स्थित है। जिस पर मिनसायला ने मकानात बना रखे है व मौके पर दो कमरे, दो कोठरी, एक बरामदा, चौक, लैट्रिन, बाथरूम बने हुए है व शेष खाली पडत जमीन है। जिसकी हदूदअर्बा यह है। तरफ पूर्व को आम रास्ता, तरफ पश्चिम को मकान पप्पू शर्मा, तरफ उत्तर को सडक सरकारी, तरफ दक्षिण को गली शामलाती व पडौसी पप्पूराम शर्मा जिस जायदाद की पैमाईश यह है। तरफ पूर्व को 42 फुट 3 इंच, तरफ पश्चिम को 42 फुट 3 इंच, तरफ उत्तर को 54 फुट 3 इंच, तरफ दक्षिण को 54 फुट 3 इंच है। यह कि मिनसायला उक्त विवादित जायदाद में अरसे दराज से निवास कर रही है व इसी जायदाद में मिनसायला के पति मोहनलाल की मृत्यु अरसा करीब 33 साल पूर्व हुई थी व उनकी मृत्यु के बाद मिनसायला ने अपने जातीय पैदाकर्दा लागत से विवादित जायदाद में मकानात का निर्माण कमरे व लैट्रिन बाथरूम बनाये है। मिनसायला जलदाय विभाग में सरकारी नौकरी पर राजगढ़ में कार्यरत थी। मकानात बनाते समय पश्चिम को खाली पडत जमीन लकडी, ऊपले व अन्य सामान रखने व गाय भैस रखने के लिए मिनसायला ने छोड रखी है व मकानात में इस पडत जमीन पर जाने के लिए दरवाजा बना रखा है व इस जमीन पडत में मिनसायला व उसका परिवार उठता बैठता है व सामान पडा हुआ है व डण्डा बना रखा है। जो पडत जमीन 20 फुट 3 इंच चौडी व 22 फुट 3 इंच लम्बी है। जिस पडत जमीन पर मिनसायला नेक नियती से काबिज दाखिल है व मिनसायला को इस पडत जमीन के बाबत हर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

किस्म के हकूक मिलकियत आशायसी इस्तेमाली, काबिजाना मालिकाना आदि प्राप्त है व उक्त जमीन पर कब्जा मिनसायला का अर्से दराज से बिला किसी रोक टोक के चला आ रहा है।

विवादित जायदाद से गैरसायलान का कोई ताल्लूक वास्ता व सम्बन्ध किसी भी किस्म का नहीं है जबकि गैरसायल सं. 1 अपने मकान जो मिनसायला के मकान के सामने सड़क के बाद बना रखा है अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है लेकिन गैरसायल सं. 1 ने खिलाफ कानून व खिलाफ वाकयात व खिलाफ मौका गैरसायल सं. 2 से मिल्लत करके व मिली भगत करके एक झूठी फर्जी कब्जा विवादित जायदाद पर दिखाकर गैरसायल सं. 2 से दिनांक 05–07–2001 को अपने नाम विक्रय विलेख लिखवा लिया जो पट्टा नंबर 529 गैरसायल सं. 2 ने गैरसायल सं. 1 के नाम गलत तरीके पर जारी किया है। गैरसायल सं. 2 ने गैरसायल सं. 1 को उक्त विक्रय पत्र गलत तरीके पर किया है जबकि विवादित जायदाद पर मिनसायला का कब्जा अरसे दराज करीब 50 साल से अधिक समय से बिला किसी रोक टोक के चला आ रहा है व मिनसायला विवादित जायदाद में मय परिवार के निवास कर रही है व मिनसायला ने अपने जातीय पैदाकर्दा रूपये से मकानात आदि का निर्माण भी कराया है व मिनसायला ने विवादित जायदाद मे पानी व बिजली का कनेक्शन ले रखा है व पूर्व में टेलीफोन का कनेक्शन लिया हुआ था। मिनसायला अनपढ है केवल हस्ताक्षर करना जानती है। गैरसायल सं. 1 ने विवादित जायदाद पर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी व मिनसायला को बेदखल करने की धमकी दी व रहन बय करने की धमकी दी। गैरसायल सं. 1 का विवादित जायदाद से कोई सम्बन्ध व सरोकार व ताल्लुक वास्ता किसी भी किस्म का ना कभी था और ना है। गैरसायल सं. ने मिनसायला के खिलाफ एक नाजायज गिरोह व पार्टी बना रखी है जो कानून खुद हाथ में लेकर विवादित जायदाद पर कब्जा करना चाहता है व मिनसायला को विवादित जायदाद का उपयोग व उपभोग करने में रूकावट व मजाहमत करता है व रहन बय आदि करने की धमकी दी है। यदि गैरसायल सं. 1 अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो गया तो मिनसायला को ऐसा भारी नुकसान पहुंचेगा कि जिस नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी दीगर तरीके से पूरी नहीं हो सकेगी व दरमियान पक्षकारान और भी झगडे व मुकदमेबाजी बढ़ जाने का अंदेशा है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति मिनसायला के पक्ष में है। मिनसायला ने एक वाद श्रीमती लड्डो देवी वादिनी बनाम राजेन्द्र प्रसाद वगेरा प्रतिवादीगण दावा बाबत निरस्त किये जाने विक्रय विलेख के बाबत सिविल न्यायाधीश राजगढ, अलवर में दायर कर रखा है। मिनसायला माह अक्टूबर 2018 से ही ज्यादा बीमार हो गई व ईलाज चलता रहा। मिनसायला वृद्ध बेवा औरत है जो इतनी जानकारी भी नहीं रखती है व मिनसायला के वकील साहब अलवर के रहने वाले है। मिनसायला बीमार होने के कारण वकील साहब से नहीं मिल पाई। मिनसायला से चला भी नहीं जाता व मार्च 2020 में कोरोना बीमारी आ गई। जिससे लॉकडाउन हो गया। वृद्ध होने के कारण आना जाना भी नहीं हो सका। बाद में दिसम्बर 2020 में दिनांक 29–12–2020 में नकल पट्टे के लिए कई चक्कर लगाने के बाद नकल दिनांक 12–01–2021 को पंचायत ने दी। इस प्रकार दिनांक 10–10–2018 से दिनांक 20–03–2020 तक व कोरोना काल दिनाक 20–03–2020 से नकल मिलने की दिनांक 12–01–2021 तक का समय कण्डोन करने की कृपा करें। जो मौजूदा अपील पेश की जा रही है। मिनसायला ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है। उक्त देरी काबिल माफी है। उक्त देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेरदफा 5 कानून मियाद अधि० मय शपथपत्र अलग से पेश है। दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवामे ओर अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना है कि निगरानी सायला मंजूर फरमायी जाकर तजबीज अदालत मातहत मंसुख फरमायी जाकर पट्टा दिनांक 05–07–2001 जो गैरसायलान सं. 2 व 3 ने गैरसायल सं. 1 के नाम जारी किया है वो मंसुख फरमाया जावे। हलफनामा पेश है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित। अनिगरानीकार संख्या 02 व 03 बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

पत्रावली में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकार द्वारा दौराने बहस निम्न कथन किये गये। पट्टा संख्या 529 निदांक 05.07.2001 का है तथा पट्टे से संबंधित पत्रावली कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टे के संबंध में बैठक हुई या नहीं हुई तथ कोरम पूरा था या नहीं के संबंध में कोई रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पचांयत अलई में उपलब्ध नहीं है। वकील निगरानीकार द्वारा निगरानीकार के पुराने कब्जे के संबंध में बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि दौराने बहस दिखाये। न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजगढ अलवर के न्यायालय में विचाराधीन उनवानी वाद लड्डो बनाम राजेन्द्र में जबाब दावा प्रतिवादी संख्या 01 (राजेन्द्र प्रसाद) की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 (राजेन्द्र प्रसाद) ने पैरा संख्या 02 में कथन किया है कि विवादित जायदाद के 1/2 हिस्से का स्वामी मिन प्रतिवादी (राजेन्द्र प्रसाद) व शेष 1/2 हिस्से की स्वामिनी वादिनी (लड्डो देवी) व उसकी पोत्री शालू हैं। वादिनी (लड्डो देवी) द्वारा विवादित जायदाद में कोई निर्माण नही किया गया बल्कि समस्त निर्माण स्व0 कन्हैयालाल (वादिनी का पति) द्वारा करवाया गया है। ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित कोई पत्रावली नहीं है। पट्टा फर्जी तरीके से जारी किया गया है, मकान को हडप करने की नियत है। पट्टा मिली भगत से जारी किया गया है। अतः निवेदन है कि पट्टा खारिज फरमाया जावे।

वकील अनिगरानीकार द्वारा दौराने बहस निम्न कथन किये। पट्टा गलत तरीके से जारी किया गया है इसमें क्या अनियमितता हैं ? पट्टा जारी करने में कोई प्रक्रियागत त्रुटि नहीं है। न्यायालय श्रीमान में कब्जे का फैसला नहीं करना। सम्पूर्ण अपील में केवल कब्जे को ही आधार बनाया जा रहा है जबकि पट्टा जारी करने में क्या विधिक त्रुटि रही है यह नहीं बताया गया। कब्जा, मौका कमिश्नर इत्यादि सिविल न्यायालय में तय होते हैं। अतः निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अलई, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर द्वारा जारी पट्टा सख्या 529 निदांक 05.07.2001 के विरुद्ध दायर किया गया है। वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से प्रतीत होता है कि विवादित जायदाद पर लम्बे समय से निगरानीकार का कब्जा है, जो शांतिपूर्ण और बिला रोकटोक रहा है। कार्यालय ग्राम पंचायत अलई में पट्टे से संबंधित कोई बैठक या प्रक्रिया का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, कोरम पूरा हुआ या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में नहीं है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजगढ अलवर के न्यायालय में विचाराधीन उनवानी वाद लड्डो बनाम राजेन्द्र में जबाब दावा प्रतिवादी संख्या 01 (राजेन्द्र प्रसाद) की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 (राजेन्द्र प्रसाद) ने पैरा संख्या 02 में कथन किया है कि विवादित जायदाद के 1/2 हिस्से का स्वामी मिन प्रतिवादी (राजेन्द्र प्रसाद) व शेष 1/2 हिस्से की स्वामिनी वादिनी (लड्डो देवी) व उसकी पोत्री शालू हैं। सिविल न्यायालय में लंबित वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि संपत्ति का आधा हिस्सा वादिनी का है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में पट्टा जारी करने संबंधी कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करती है। कोरम, बैठक की कार्यवाही, प्रस्ताव पारित होने का रिकॉर्ड न होना इस तथ्य को मजबूत करता है कि पट्टा जारी करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। सिविल वाद में प्रतिवादी का आंशिक स्वामित्व स्वीकारना भी विवादित जायदाद की स्थिति को जटिल बनाता है, किंतु यह मुख्य रूप से स्वामित्व और कब्जे का प्रश्न है। चूंकि निगरानी धारा 97(1) के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

यह देखा जाता है कि पंचायत का आदेश कानून के अनुरूप है या नहीं। इसलिए रिकॉर्ड न होना, सिविल वाद में प्रतिवादी का आंशिक स्वामित्व स्वीकारना तथा प्रक्रियागत त्रुटियां इस पट्टे को रद्द करने का पर्याप्त आधार हैं। उपरोक्त तथ्यों, पक्षकारों की बहस और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अलई द्वारा गैरसायल सं. 1 के नाम पट्टा संख्या 529 दिनांक 05.07.2001 जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा प्रक्रियागत त्रुटियां एवं पारदर्शिता की कमी के कारण न्यायिक दृष्टिकोण से भी असंगत व अवैध है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत अलई द्वारा जारी पट्टा संख्या 529 दिनांक 05.07.2001 को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर